	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023 *Sravana 15, Sunday , Saka 1945- August 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2023

संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(11) :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

<u>जिलों का गठन/पुनर्गठन</u>

1. नीम का थाना- सीकर एवं झुंझुनू जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला नीम का थाना गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय नीम का थाना होगा।

नवगठित नीम का थाना जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
नीम का थाना	1. नीम का थाना	नीम का थाना
		पाटन
	2. श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर
	3. उदयपुरवाटी	उदयपुरवाटी
	4. खेतड़ी	खेतड़ी

2. झुन्झुनू- पुनर्गठित झुन्झुनू जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
झुन्झुनू	1. झुन्झुनू	झुन्झुनू
		गुढागौडजी
	2. नवलगढ	नवलगढ
	3. बुहाना	बुहाना
	4. चिडावा	चिडावा
	5. मण्डावा	मण्डावा
		बिसाऊ
	6. मलसीसर	मलसीसर
	7. सूरजगढ	सूरजगढ
		पिलानी

3. सीकर- पुनर्गठित सीकर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
सीकर	1. फतेहपुर	फतेहपुर
	2. रामगढ शेखावाटी	रामगढ शेखावाटी
	3. लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ
	4. नेछवा	नेछवा
	5. सीकर	सीकर
	6. धोद	धोद
		सीकर ग्रामीण
	7. दातारामगढ़	दातारामगढ़
	8. खण्डेला	खण्डेला
	9. रींगस	रींगस

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।